

## Press Note

Under the provisions in H.P Treasury Rules and instruction issued by Finance Department the Life Certificate and other certificates for the year 2020-21 may be submitted by pensioners from 1<sup>st</sup> Sep, 2020 by using either of the following methods:-

- (1) Pensioners have to download life certificate form available on <http:Himkosh.hp.nic.in> and submit the filled form in any Treasury of the district after getting it signed from a Gazetted Government servant.
- (2) Similar certificate is also required to be submitted by **(All India Services)** pensioners, who are drawing their pension through CPAO to whom pension is being paid by DTO-CTO. AIS Pensioners have to download life certificate form available on <http:Himkosh.hp.nic.in> and submit the filled form in any Treasury of the district after getting it signed from a Gazetted Government servant.
- (3) Digital life certificate based on Aadhaar Biometric Authentication through Jeevan Pramaan website ([jeevanpramaan.gov.in](http:jeevanpramaan.gov.in)) shall also be accepted as valid certificate for the year 2020-21. The pensioner will have to send the copy of jeevan Pramaan certificate to the treasury by post.
- (4) The pensioners may also give copy of Aadhaar along with Life Certificate for seeding of Aadhaar number with e-Pension.
- (5) The Life Certificate already submitted for the year 2019-20 will be valid till 31-08-2020.

The verification of the pensioners will be valid for one year.

## प्रेस विज्ञापित

हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली के नियम और वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज वर्ष 2020-21 के लिए 1 सितम्बर, 2020 से निम्नलिखित प्रणाली द्वारा जमा करवाएं:-

- 1) पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र जो कि विभाग की वेब साइट <http://Himkosh.hp.nic.in> पर उपलब्ध है डाउनलोड कर तथा इसे भर कर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवा किसी भी कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
- 2) अखिल भारतीय सेवाएं पेंशन भोगी द्वारा भी इस तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जाकि CPAO के माध्यम से पेंशन आहरण कर रहे हैं तथा जिन्हें DTO-CTO द्वारा पेंशन भुगतान किया जा रहा है। संबंधित प्रमाण पत्र जो कि विभाग की वेब साइट <http://Himkosh.hp.nic.in> पर उपलब्ध है डाउनलोड कर तथा इसे भर कर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवा संबंधित जिला के किसी भी कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
- 3) जीवन प्रमाण वेबसाइट ([jeevanpramaan.gov.in](http://jeevanpramaan.gov.in)) के माध्यम से आधार बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को भी वर्ष 2020-21 के लिए वैध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य होंगे। पेंशनभोगी को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की प्रति डाक से संबंधित कोषागार को भेजनी होगी।
- 4) पेंशन भोगी अपनी आधार कार्ड की प्रतिलिपि जीवन प्रमाण पत्र के साथ कोष कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि आधार नं0 को ई-पेंशन प्रणाली में जोड़ा जा सके।
- 5) वर्ष 2019-20 के लिए जमा जीवन प्रमाण पत्र 31-08-2020 तक मान्य होगा।

जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होगा।